

वंचति बच्चों की शिक्षा हेतु धनराशिवितरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य सरकार ने नःशुल्क और अनविर्य शिक्षा का अधिकार अधनियम या शिक्षा का अधिकार अधनियम, 2009 के तहत, नजी स्कूलों में पढने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचति बच्चों की शिक्षा खर्च के लिये 250 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशिवितरति की है।

मुख्य बदि:

- RTE के तहत नजी स्कूलों में नामांकति वंचति और कमज़ोर वर्ग के प्रत्येक बच्चे को 450 रुपए का मासकि बजट आवंटन मलिया।
- इस पहल का उद्देश्य इन बच्चों की शैक्षकि आवश्यकताओं की पूरतकिरना और गुणवत्तापूरण शिक्षा तक उनकी पहुँच सुनश्चिति करना है।
- RTE अधनियम के अनुपालन में, 35,666 छात्रों की आकांक्षाएँ पूरी हो गई हैं, जनिमें से सबसे अधिक संख्या लखनऊ ज़िले से है, क्योंकिवे नजी स्कूलों में अपनी पढाई कर रहे हैं।
- शिक्षण शुल्क को कवर करने के अलावा, सरकार पुस्तकों, नोटबुक और पोशाक जैसीशैक्षकि सामग्री के लिये प्रतबच्चे को सालाना 5,000 रुपए भी प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षकि पहल

- अटल आवासीय वदियालय योजना: अनौपचारकि क्षेत्र में कार्यरत नरिमाण श्रमकिों के बच्चों को नःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिये यह पहल शुरू की गई। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमकिों के 6 से 16 वर्ष की आयु के बीच के दो बच्चों को समरपति स्कूलों में नःशुल्क आवासीय शिक्षा प्राप्त होती है।
- महादेवी वर्मा श्रमकि पुस्तक कर्य धन योजना (MVSPKDPY): वर्ष 2022 में शुरू की गई, नरिमाण श्रमकिों की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल है।
- SC/ST प्री मैट्रकि छात्रवृत्तति: यह छात्रवृत्ततिकार्यक्रम हाशयि पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्त्व पर आधारति है और इसका उद्देश्य वत्तितीय अंतर को समाप्त करना है जो अन्यथा उनकी शैक्षणकि प्रगति में बाधा बन सकता है।